



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

संख्या :: 139/46/ई-1/डी0आर0(पी0सी0एस0)2020-21

दिनांक :: 12 जुलाई, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन सं०- **A-1/E-1/PCS-2021/2021-22** दिनांक 10.08.2021 एवं अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि पत्र दिनांक 07.12.2021 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा-2021 के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर मा० आयोग द्वारा विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरांत मा० आयोग द्वारा उक्त प्रत्यावेदनों को निम्नवत् निस्तारित किया गया है-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	आदेश								
1	2	3	4								
1.	सूरज अधिकारी	131255	अभ्यर्थी पौध सुरक्षा अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण सफल घोषित नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 219 (एस0बी0)/2022 व अन्य समान प्रकार की याचिकाओं में मा० न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पौध सुरक्षा अधिकारी पद के सापेक्ष अर्हता रखे जाने हेतु अभ्यर्थी के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी प्रदान नहीं की गयी है तथा दिनांक 27.02.2024 को घोषित प्रश्नगत मुख्य परीक्षा के परिणाम में अभ्यर्थी को उद्यान विकास अधिकारी तथा मशरूम अधिकारी पद के सापेक्ष सफल घोषित किया गया है। अतः उक्त के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।								
2	नितिन नौटियाल	224716	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली -2022 के नियम भाग-07, नियम-08 (iv) के अनुसार - "मुख्य (लिखित) परीक्षा:-मुख्य (लिखित) परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु निम्न अनुपात में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा-								
			<table border="1"><thead><tr><th>रिक्त पद</th><th>रिक्त पद रिक्त के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 से 5</td><td>5 गुना लगभग</td></tr><tr><td>6 से 10</td><td>4 गुना लगभग</td></tr><tr><td>11 एवं अधिक</td><td>3 गुना लगभग</td></tr></tbody></table>	रिक्त पद	रिक्त पद रिक्त के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या	1 से 5	5 गुना लगभग	6 से 10	4 गुना लगभग	11 एवं अधिक	3 गुना लगभग
रिक्त पद	रिक्त पद रिक्त के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या										
1 से 5	5 गुना लगभग										
6 से 10	4 गुना लगभग										
11 एवं अधिक	3 गुना लगभग										
			उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष परिस्थिति में आयोग का निर्णय प्रभावी होगा। परन्तु यदि मुख्य (लिखित)								

			<p>परीक्षा के परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थी आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा के पश्चात् अनर्ह कर दिये जाते हैं तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित अनुपात से कम रह जाती है तो निर्धारित अनुपात को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित नहीं किया जायेगा।”</p> <p>उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली –2012 चतुर्थ संशोधन के नियम-08 “ख” में उल्लिखित है कि “लिखित (मुख्य) परीक्षा का परीक्षा परिणाम एक बार घोषित हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थियों की संख्या किन्ही अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन किन्ही कारणों से निरस्त किये जाने के कारण कम हो जाती है तो पुनः लिखित (मुख्य) परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।”</p> <p>अतः उक्त के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</p>								
3	शुभम जौहरी	198334	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली –2022 के नियम भाग-07, नियम-08 (iv) के अनुसार –“मुख्य (लिखित) परीक्षा:-मुख्य (लिखित) परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु निम्न अनुपात में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा-</p> <table border="1" data-bbox="624 1279 1445 1518"> <thead> <tr> <th>रिक्त पद</th> <th>रिक्त पद रिक्ति के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 से 5</td> <td>5 गुना लगभग</td> </tr> <tr> <td>6 से 10</td> <td>4 गुना लगभग</td> </tr> <tr> <td>11 एवं अधिक</td> <td>3 गुना लगभग</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष परिस्थिति में आयोग का निर्णय प्रभावी होगा। परन्तु यदि मुख्य (लिखित) परीक्षा के परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थी आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा के पश्चात् अनर्ह कर दिये जाते हैं तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित अनुपात से कम रह जाती है तो निर्धारित अनुपात को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित नहीं किया जायेगा।”</p> <p>उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली –2012 चतुर्थ संशोधन के नियम-08 “ख” में उल्लिखित है कि “लिखित (मुख्य) परीक्षा का परीक्षा परिणाम एक बार घोषित हो जाने के पश्चात् यदि</p>	रिक्त पद	रिक्त पद रिक्ति के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या	1 से 5	5 गुना लगभग	6 से 10	4 गुना लगभग	11 एवं अधिक	3 गुना लगभग
रिक्त पद	रिक्त पद रिक्ति के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या										
1 से 5	5 गुना लगभग										
6 से 10	4 गुना लगभग										
11 एवं अधिक	3 गुना लगभग										

			<p>अभ्यर्थियों की संख्या किन्ही अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन किन्ही कारणों से निरस्त किये जाने के कारण कम हो जाती है तो पुनः लिखित (मुख्य) परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।”</p> <p>अतः उक्त के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</p>								
4.	विजयपति त्रिपाठी	289471	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली –2022 के नियम भाग-07, नियम-08 (iv) के अनुसार –“मुख्य (लिखित) परीक्षा:–मुख्य (लिखित) परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु निम्न अनुपात में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा–</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>रिक्त पद</th> <th>रिक्त पद रिक्त के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 से 5</td> <td>5 गुना लगभग</td> </tr> <tr> <td>6 से 10</td> <td>4 गुना लगभग</td> </tr> <tr> <td>11 एवं अधिक</td> <td>3 गुना लगभग</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष परिस्थिति में आयोग का निर्णय प्रभावी होगा। परन्तु यदि मुख्य (लिखित) परीक्षा के परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थी आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा के पश्चात् अनर्ह कर दिये जाते हैं तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित अनुपात से कम रह जाती है तो निर्धारित अनुपात को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित नहीं किया जायेगा।”</p> <p>उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली –2012 चतुर्थ संशोधन के नियम-08 “ख” में उल्लिखित है कि “लिखित (मुख्य) परीक्षा का परीक्षा परिणाम एक बार घोषित हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थियों की संख्या किन्ही अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन किन्ही कारणों से निरस्त किये जाने के कारण कम हो जाती है तो पुनः लिखित (मुख्य) परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।”</p> <p>अतः उक्त के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।</p>	रिक्त पद	रिक्त पद रिक्त के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या	1 से 5	5 गुना लगभग	6 से 10	4 गुना लगभग	11 एवं अधिक	3 गुना लगभग
रिक्त पद	रिक्त पद रिक्त के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या										
1 से 5	5 गुना लगभग										
6 से 10	4 गुना लगभग										
11 एवं अधिक	3 गुना लगभग										

Sd/-
(जी0एस0रावत)
सचिव